भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3158

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी निकायों को सशक्त बनाने के संबंध में नीति आयोग की रिपोर्ट

†3158. डॉ. शशि थरूरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नीति आयोग की 'मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट-ए फ्रेमवर्क फॉर मिलियन-प्लस सिटीज' नामक हाल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें एक निश्चित कार्यकाल के साथ शहर के राजनीतिक और कार्यकारी प्रमुख के रूप में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर सहित सशक्त नगर निकायों को संरचनात्मक शक्तियाँ देने की सिफारिश की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नीति आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को दर्शाने के लिए वर्ष 2003 में राज्यों को परिचालित आदर्श नगरपालिका कानून को अद्यतन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने-अपने नगर निगम अधिनियमों में संशोधन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शहर के महापौरों के लिए एक निश्चित कार्यकाल और कार्यकारी शक्तियों को संस्थागत बनाया जा सके?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि मेयर समग्र कार्यकारी प्राधिकारी सहित शहर की सरकार का प्रमुख होगा। प्रभावी शहरी गवर्नेंस के लिए, किसी नगर निगम के भीतर कार्यकारी प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से मेयर में निहित किया जाना चाहिए, जिसमें नगर आयुक्त मेयर के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है और नामित रिपोर्टिंग प्राधिकारी होता है। राज्य सरकारों को राज्य नगरपालिका अधिनियमों या अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन करना चाहिए ताकि मेयर को शहर की सरकार के प्रमुख के रूप में स्पष्ट रूप से नामित किया जा सके और मेयर तथा नगर आयुक्त की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके।

तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II-राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार, 'स्थानीय सरकार' राज्य का विषय है और शहरी नियोजन भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में यथापरिकल्पित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का कार्य है। तदनुसार, यूएलबी की संस्थागत और राजकोषीय क्षमता को सुदृढ़ करना संबंधित राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं, नीतिगत पहलों और परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 द में नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 द के खंड 2 में यह उल्लेख है कि राज्य विधानमंडल, कानून द्वारा, किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति का प्रावधान कर सकता है। तदनुसार, राज्य सरकारें निश्चित कार्यकाल के साथ मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करने के लिए अपने नगरपालिका कानूनों में संशोधन कर सकती हैं।

(ख) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने वर्ष 2003 में **मॉडल नगर पालिका कानून (एमएमएल)** तैयार किए थे, जिनका उद्देश्य संविधान (74$^{वाँ}$ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा यथासंशोधित भारत के संविधान के प्रावधानों, के अनुरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नगरपालिकाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन करने हेतु राज्य सरकारों को समेकित मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये कानून विभिन्न स्तरों पर शहरी स्वशासन में सहभागिता, विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता तथा जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित हैं तथा नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा प्रणाली में सुधार, आंतरिक संसाधन सृजन क्षमता तथा संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाने, नगरपालिका कार्मिकों के व्यावसायीकरण को सुनिश्चित करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

(ग) संविधान के भाग IXक के संबंध में, नगरपालिकाओं की संरचना, शक्तियों, कार्यों तथा कार्यकाल से संबंधित विषय, जिनमें मेयर का पद, उनका निर्वाचन तथा उनकी शक्तियाँ भी शामिल हैं, राज्य सरकारों के विधायी अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
